



HAMIRPUR POLICE



थाना राठ

दिनांक 06.03.2023

चोरी के 10 वाहन एवं अवैध असलहा/कारतूस सहित 04 अन्तरजनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2023 कि रात्रि थाना राठ पुलिस द्वारा उरई स्टैण्ड के पास बाईपास पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनो की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइक चोर गिरोह चोरी की बाइके लेकर अमगांव तिराहे के पास पहुंचने वाला है जो उरई की तरफ से आ रहा है, उपरोक्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान उरई की तरफ से एक साथ आ रही चार मोटर साइकिलों को रोकने पर उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिनको पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। मौके से एक मो0सा0 का चालक मो0सा0 मौके पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम व पता पूछते हुये जामा तलासी ली गई तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1)राघवेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम सिंगार थाना गुरसराय जनपद झांसी उम्र करीब 30 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक अवैध अड्डी व 02 जिंदा कारतूस 315, एक मोटर साइकिल प्रैशन प्रो (यू पी 91 D 3960) बरामद हुई जो थाना राठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-77/23, धारा-379 आईपीसी से संबन्धित है। मो0सा0 के पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम 2)अंशुल यादव पुत्र हरगोविन्द (उम्र करीब 20 वर्ष) निवासी ग्राम खिस्टोन थाना पीथीपुर जनपद निवाडी म0प्र0 करीब बताया। गिरफ्तार तीसरे व्यक्ति मे अपना नाम 3)गंगाचरन उर्फ गंगा पुत्र रामनारायन राजपूत (उम्र करीब 22 वर्ष) निवासी ग्राम बड़ा खरका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर बताया, कब्जे से मो0सा0 TVS अपाचे बरामद हुई जो थाना राठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-83/23 धारा-379 आईपीसी से संबंधित है। तथा चौथे व्यक्ति ने अपना नाम 4)प्रदीप राजपूत उर्फ विधायक पुत्र बालकिशोर (उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी ग्राम बंगरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर हाल पता उरई स्टैण्ड कस्वा व थाना राठ हमीरपुर बताया जिसके कब्जे से बरामद मो0 सा0 पैशन प्रो जो कि थाना राठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-84/23 धारा-379 आईपीसी से सम्बंधित है। तथा भागे हुये व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई मोटर साइकिल नं (यूपी 93 बीके 2599) थाना राठ पर मु0अ0सं0-

78/23 धारा-379 आईपीसी से सम्बंधित पाई गई है। गिरफ्तार आरोपियों की निशादेही पर उरई मुख्य मार्ग से नवोदय विद्यालय के सामने बायी ओर बबूल की झाड़ियो मे छिपायी हुई कुल 06 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। इस सम्बंध मे पूछताछ पर आरोपी राघवेन्द्र ने बताया कि यह सब गाड़िया चोरी की है, जिसमें 04 गाड़ी कस्बा राठ के अगल-अलग स्थानों एवं 02 गाड़ी गुरसराय झांसी से चोरी की गई है।

पूछताछ के क्रम मे:-

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि उन लोगो ने यह गाड़ियां कस्बा राठ में बारहखम्भा चौराहा, छोटी जुलेहटी, चरखारी रोड़ व बजरिया से तथा आसपास के जनपदो से चोरी की है आज हम लोग चोरी की गई मोटरसाइकिलो को राठ मे ही एक जगह इकट्ठा करने जा रहे थे, जिन्हे हम लोग किसी लोडर मे लदवाकर एमपी मे बेचने के लिये ले जाने वाले थे। इन सब गाड़ियो को इकट्ठा करके वह लोग मध्य प्रदेश देहात क्षेत्रो में ले जाकर तथा फर्जी नम्बर के कागजात तैयार कराकर लोगो को कम कीमत में बेच देते है और उससे जो रूपये हम लगे को प्राप्त होते है उसे वह लोग आपस मे बराबर बराबर बांट लेते है। आज हम लोग चुराई गई गाड़ियों को अपने साथियो के साथ मिलकर लोडर पर लदवाकर एम0पी0 ले जाकर बेचने वाले थे और अंशुल यादव उर्फ बुलबुल जो चोरी की गाड़िया खरीदने हेतु हम लोगो ने बुलाया था इसके पूर्व भी बुलबुल यादव हस लोगो से गाड़ी खरीद चुका है। पकड़े गये आरोपियों का एक संगठित सक्रिय गिरोह है जो क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाड़ी चुराकर बिक्री करके धन अर्जित कर जीविकोपार्जन करते है। बरामद सभी 10 वाहनों में से ट्रैस करने पर 04 वाहन थाना राठ पर तथा 02 वाहन थाना गुरसराय पर चोरी होने के सम्बंध में अभियोग पंजीकृत है शेष अन्य 04 मो0सा0 के ट्रैस किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध धारा-379/411/41/413/420/467/468/471 आईपीसी व धारा-25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आपराधिक इतिहास राघवेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम सिंगार थाना गुरसराय, झांसी

- 1) मु0अ0स0-136/22, धारा-380,411,454 IPC थाना एरच-जनपद झाँसी
- 2) मु0अ0स0-139/22, धारा-411 IPC थाना एरच-जनपद झाँसी
- 3) मु0अ0स0-141/22, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना एरच-जनपद झाँसी
- 4) मु0अ0स0-840/16, धारा-379,411 IPC थाना नवाबाद-जनपद झाँसी

फरार अभियुक्त का नाम-पता:-

1) करन दादी पूर्व प्रधान का नाती सुरेन्द्र राजपूत निवासी ग्राम बंगरा थाना चिकासी, हमीरपुर
वाहन बरामद विवरण थाना कोतवाली राठ हमीरपुर

क्र0	वाहन रजि0 नं0	मेक माडल	अभियोग पंजीकरण
1	यूपी95एम 3968	पैशन प्रो	मु0अ0सं0 77/23 धारा 379 भादसं थाना राठ
2	यूपी95के 8255	एचएफ डीलक्स	मु0अ0सं0 78/23 धारा 379 भादसं थाना राठ
3	यूपी95एम 5442	टीवीएस अपाचे	मु0अ0सं0 83/23 धारा 379 भादसं थाना राठ
4	यूपी 92के 9126	पैशन प्रो	मु0अ0सं0 84/23 धारा 379 भादसं थाना राठ
5	यूपी93ए एच 1216	हीरो स्पेलेण्डर	मु0अ0सं0 26/23 धारा 379 भादसं थाना गुरसराय जनपद झांसी
6	यूपी 93एडी 8423	पल्सर ब्लैक	मु0अ0सं0 38/23 धारा 379 भादसं थाना गुरसराय जनपद झांसी
7	डिस्कवर 125 सीसी	-	
8	एचएफ डीलक्स	-	
9	एचएफ डीलक्स	-	
10	एचएफ डीलक्स	-	

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1) प्र0नि0 राठ भरत कुमार
- 2) उ0नि0 शिवदान सिंह
- 3) उ0नि0 राजेश कुमार
- 4) मु0आ0 महेन्द्र राजपूत

- 5) मु0आ0 हिमांशु प्रताप गौतम
- 6) आ0 डेगराज सिंह
- 7) आ0 जितेन्द्र कुमार
- 8) आ0 मनीष पाल
- 9) आ0 अनिल कुमार

